''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''

पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 फरवरी 2007—माघ 20, शक 1928

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 जनवरी 2007

क्रमांक 109/01/2007/1-8/स्था.—श्री विजय कुमार सिंह, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 19-12-2006 से 30-12-2006 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 16, 17, 18, 31-12-2006 एवं 1-1-2007 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री विजय कुमार सिंह को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री विजय कुमार सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 12 जनवरी 2007

क्रमांक ई-7/04/2005/1/2.—श्री अन्बलगन पी. भा. प्र. से., अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दन्तेवाड़ा को दिनांक 11-01-2007 से 25-01-2007 तक (15 दिवस) का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 26-01-2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अन्बलगन पी. आगामी आदेश तक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दन्तेवाड़ा के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री अन्बलगन पी. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अन्बलगन पी. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2007

क्रमांक ई-7/1/2007/1/2.—श्री एस. प्रकाश, भा. प्र. से., सहायक कलेक्टर, बस्तर, जगदलपुर को दिनांक 23-01-2007 से 16-02-2007 तक (25 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 17 एवं 18-02-2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एस. प्रकाश आगामी आदेश तक सहायक कलेक्टर, बस्तर, जगदलपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री एस. प्रकाश को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. प्रकाश अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2007

क्रमांक ई-7/8/2003/1/2.—श्रीमती रेणु जी. पिल्ले, भा. प्र. से., विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग को दिनांक 27-12-2006 से 02-01-2007 तक (07 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती पिल्ले आगामी आदेश तक विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में श्रीमती पिल्ले को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती पिल्ले अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2007

क्रमांक ई-7/33/2004/1/2.—श्री एम. आर. ठाकुर, भा. प्र. से., सचिव, छ. ग. लोक आयोग, रायपुर को दिनांक 11-12-2006 से 23-12-2006 तक (13 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 09, 10, 24 एवं 25-12-2006 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री ठाकुर आगामी आदेश तक सचिव, छ. ग. लोक आयोग, रायपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री ठाकुर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ठाकुर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2007

क्रमांक ई-7/60/2004/1/2.—श्री परदेशी सिद्धार्थ कोमल, भा. प्र. से., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर को दिनांक 22-12-2006 से 30-12-2006 तक (09 दिवस) का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 31-12-2006 एवं 01-01-2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री परदेशी सिद्धार्थ कोमल, आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री परदेशी सिद्धार्थ कोमल को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री परदेशी सिद्धार्थ कोमल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 27 जनवरी 2007

क्रमांक ई-7/29/2004/1/2.—श्री बी. एल. ठाकुर, भा. प्र. से. आयुक्त, आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास, छ. ग. रायपुर को दिनांक 17-01-2007 से 31-01-2007 तक (15 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री ठाकुर आगामी आदेश तक आयुक्त, आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास, छ. ग. रायपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री ठाकुर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ठाकुर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2007

क्रमांक 107/33/2007/1-8/स्था.—श्री एल. पी. दाण्डे, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 15-1-2007 से 19-1-2007 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एल. पी. दाण्डे को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एल. पी. दाण्डे अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 17 जनवरी 2007

क्रमांक 111/28/2007/1-8/स्था.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 68-69/08/2007/1-8/स्था., दिनांक 8-1-2007 द्वारा श्री बी. एल. पवार, मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय को स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 7-1-2007 से 8-1-2007 तक 02 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. पैरा-2, 3 एवं 4 आदेश दिनांक 8-1-2007 के अनुसार यथावत् होगी.

रायपुर, दिनांक 17 जनवरी 2007

क्रमांक 113/24/2007/1-8/स्था.—श्री एन. डी. कुन्दानी, प्रमुख सचिव के स्टाफ आफिसर, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग को दिनांक 31-1-2007 से 15-2-2007 तक 16 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कुन्दानी को प्रमुख सचिव के स्टाफ आफिसर, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री कुन्दानी अवकाश पर नहीं जाते तो प्रमुख सचिव के स्टाफ आफिसर, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 जनवरी 2007

क्रमांक 543/31/2007/25-1/आजावि.—श्री बी. एल. ठाकुर, (भा. प्र. से.) आयुक्त, आदिमजाति तथा अनु. जाति विकास, रायपुर को दिनांक 17-1-2007 से 31-01-2007 तक 15 दिवस का अर्जित अवकाश अवधि में श्री एल. के. गुप्ता, अपर संचालक, आदिमजाति तथा अनु. जाति विकास, रायपुर अपने कार्य के साथ-साथ आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग के चालू प्रभार में रहेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. मिंज, अतिरिक्त सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 जनवरी 2007

क्रमांक एफ 8-9/2006/11/6.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल कोरबा के बायलर क्रमांक एम. पी./3224 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 13-01-2007 से 12-07-2007 तक की छूट प्रदान करता है :-

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

2. उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

4. नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. छत्तीसगढ़ बालयर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शंकरराव ब्राह्मणे, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 4 जनवरी 2007

क्रमांक-क/भू-अर्जन/30.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	सरहर प. ह. नं. 16	0.888	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्रमांक-6, सक्ती.	सरहर सब माइनर नं. 3 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 11 जनवरी 2007

प्रकरण क्रमांक 10 अ/82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	डोंगरिया कला प. ह. नं. 11	2.279	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली जिला-बिलासपुर.	घोघरा व्यपवर्तन के नहर निर्माण से प्रभावित.

भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 11 जनवरी 2007

प्रकरण क्रमांक 12.अ/82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	पाण्डातराई प. ह. नं. 11	12.265	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली जिला-बिलासपुर.	घोघरा व्यपवर्तन के नहर निर्माण से प्रभावित.

भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 10 जनवरी 2007

क्रमांक 52/प्र. 1/भू-अर्जन/अ. वि. अ./2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	लिमतरा प. ह. नं. 41	0.53	कार्यपालन अभियंता, तांदुला ज/सं संभाग, दुर्ग.	नंदौरी जलाशय

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 10 जनवरी 2007

क्रमांक 55/प्र. 1/भू-अर्जन/अ. वि. अ./2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	सुरडुग, प. ह. नं. 46	0.54	कार्यपालन अभियंता, तांदुला ज/सं संभाग, दुर्ग.	सुरडुग जलाशय

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 10 जनवरी 2007

क्रमांक 58/प्र. 1/भू-अर्जन/अ. वि. अ./2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	मेड़ेसरा, प. ह. नं. 28	0.19	कार्यपालन अभियंता, तांदुला ज/सं संभाग, दुर्ग.	मेड़ेसरा डायवर्सन

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 10 जनवरी 2007

क्रमांक 61/प्र. 1/भू-अर्जन/अ. वि. अ./2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	दुर्ग	भानपुरी प. ह. नं. 27	0.16	कार्यपालन अभियंता, तांदुला ज/संभाग, दुर्ग.	जंजगीरी डायवर्सन

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 10 जनवरी 2007

क्रमांक 64/प्र. 1/भू-अर्जन/अ. वि. अ./2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	ढौर प. ह. नं. 41	0.11	कार्यपालन अभियंता, तांदुला ज/संभाग, दुर्ग.	हिंगनाडीह माइनर

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 10 जनवरी 2007

क्रमांक 67/प्र. 1/भू-अर्जन/अ. वि. अ./2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
ज़िला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	सुरजीडीह	0.04	कार्यपालन अभियंता, तांदुला ज/सं संभाग, दुर्ग.	नंदौरी जलाशय

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 10 जनवरी 2007

क्रमांक 70/प्र. 1/भू-अर्जन/अ. वि. अ./2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	मोहंदी प. ह. नं. 43	4.62	कार्यपालन अभियंता, तांदुला ज/सं संभाग, दुर्ग.	मोहंदी जलाशय

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 10 जनवरी 2007

क्रमांक 73/प्र. 1/भू-अर्जन/अ. वि. अ./2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	नंदौरी प. ह. नं. 44	0.06	कार्यपालन अभियंता, तांदुला ज/सं संभाग, दुर्ग.	नंदौरी जलाशय

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2006

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 10-अ 82 वर्ष 2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	पण्डरीतराई	61/2	0.020	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर.	रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर की देवेन्द्रनगर आवासीय योजना हेतु निजी भूमि का अर्जन.
			61/3	0.016		
			61/6	0.016		
			62/3	0.016		
			62/4	0.016		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			62/5	0.016		
			106/18	0.004		
			योग	0.104		

रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2006

क्रमांक/क/वा.-भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 11-अ 82 वर्ष 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	फाफाडीह प. ह. नं. 108	210/21	0.016	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर.	देवेन्द्र नगर यो. क्र. 032 के अंतर्गत.
			210/22	0.016		
			210/23	0.016		
			210/24	0.016		
			210/25	0.016		
			347/10	0.013		
			347/12	0.014		
			347/4	0.016		
			347/13	0.013		
			347/14	0.013		
			योग 10	0.149		

रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2006

क्रमांक/क/वा.-भू.अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 12-अ 82 वर्ष 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	रायपुरा, प. ह. नं. 104	97	18.838	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर.	रायपुर विकास प्राधिकरण की नवीन योजना हेतु.
			योग	**18.838**		

रायपुर, दिनांक 19 जनवरी 2007

क्रमांक/क/वा.-भू.अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 01/अ 82 वर्ष 2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	पलारी	टिपावन प. ह. नं. 31	9.876	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	राजीव संवर्धन (समोदा व्यपवर्तन) योजना द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 19 जनवरी 2007

क्रमांक/क/वा.-भू.अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 02/अ 82 वर्ष 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	पलारी	लकड़िया प. ह. नं. 111	2.309	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	राजीव संवर्धन (समोदा व्यपवर्तन) योजना द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 19 जनवरी 2007

क्रमांक/क/वा.-भू.अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 03/अ 82 वर्ष 2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	पलारी	बलौदी प. ह. नं. 31	3.459	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	राजीव संवर्धन (समोदा व्यपवर्तन) योजना द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 1 फरवरी 2007

क्रमांक/20/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर

(ख) तहसील-नरहरपुर

(ग) नगर/ग्राम-शामतरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.63 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
567	0.20
568	0.01
566	0.20
564	0.45
565	0.07
560	0.42
554	0.32
584	0.24
540	0.02
541	0.02
553	0.55
585	0.05
607	0.08
योग	2.63

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दुधावा दायीं तट नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 1 फरवरी 2007

क्रमांक/23/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर

(ख) तहसील-कांकेर

(ग) नगर/ग्राम-कानागांव

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.80 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
185	0.31
188	0.49
योग	0.80

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कानागांव व्यपवर्तन योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 1 फरवरी 2007

क्रमांक/26/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर

(ख) तहसील-कांकेर

(ग) नगर/ग्राम-पाण्डरवाही

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.76 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
69	0.28
66	0.23
65	0.01
77/7	0.24
योग	0.76

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गौरगांव जलाशय निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. धनंजय, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 27 जनवरी 2007

क्रमांक 160/प्र. 1/भू-अर्जन/अ. वि. अ./2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-गुण्डरदेही
(ग) नगर/ग्राम-खुटेरी, प. ह. नं. 19
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.32 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
891	0.09
892	0.09
899	0.06
898	0.01
897	0.07
योग 5	0.32

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- तांदुला नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 27 जनवरी 2007

क्रमांक 162/प्र. 1/भू-अर्जन/अ. वि. अ./2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-गुण्डरदेही
(ग) नगर/ग्राम-सिकोसा, प. ह. नं. 24
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.08 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
713	0.04
716	0.04
योग 2	0.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- तांदुला नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 16 जनवरी 2007

क्रमांक 17/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-तखतपुर

(ग) नगर/ग्राम-भरनी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-11.89 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	110	0.48
	111	0.68
	112	0.20
	113	4.87
	114	0.76
	115/1	0.30
	115/2	1.76
	116	1.83
	118/1	0.14
	118/2	0.17
	118/3	0.70
योग	11	11.89

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सी. आर. पी. एफ. का ग्रुप सेन्टर स्थापित करने हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोटा, जिला बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 22 जनवरी 2007

क्रमांक अ. वि. अ. भू-अर्जन/प्र. क्र. 8/अ/82, वर्ष 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-आरंग

(ग) नगर/ग्राम-अमसेना, प. ह. नं. 48

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.28 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
535	0.04
105/1	0.51
539	0.17
650	0.25
46/1	0.12
538/1	0.17
537	0.10
53/2	0.80
38	0.06
544/5	0.04
44	0.36
547	0.05
106	0.04
541	0.08
645	0.08
42	0.27
85	0.12
107	0.03
91	0.23
45	0.81
46/2	0.17
34	0.07

(1)	(2)
41	0.10
43	0.08
108	0.03
648	0.26
542	0.20
53/1	0.31
90	0.12
93	0.04
646	0.60
33	0.01
52	0.90
47	0.01
536	0.29
111	0.08
647	0.08
649	0.27
540	0.33
योग 39	8.28

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- राजीव संवर्धन (समोदा व्यपवर्तन) योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग एवं अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 19th January 2007

No. 42/Confdl./2007/II-2-1/2007.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2), are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office : and

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office :-

TABLE

S. No. (1)	Name & Presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri V. S. Salam, III Additional District & Sessions Judge.	Durg	Bemetara	Durg	Additional District & Sessions Judge vice Smt. Ranoo Diwekar.
2.	Shri R. S. Sai, VI Additional District & Sessions Judge.	Raipur	Raipur	Raipur	III Additional District & Sessions Judge vice Shri Shiv Mangal Pandey.
3.	Shri M. D. Jagdalla, III Additioanl District & Sessions Judge.	Bilaspur	Bilaspur	Bilaspur	Additional District & Sessions Judge vice Shri Mahadev Katulkar.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Shri L. R. Thakur, II Additional District & Sessions Judge.	Manendra-garh	Ambikapur	Surguja (Ambikapur)	II Additional District & Sessions Judge vice Shri N. D. Tigala.
5.	Shri Sypriel Xess, V Additional District & Sessions Judge.	Bilaspur	Bilaspur	Bilaspur	I Additional District & Sessions Judge vice Shri Naresh Kumar Chandrawanshi.

बिलासपुर, दिनांक 19 जनवरी 2007

क्रमांक 509/तीन-10-8/2000-भाग-4.—छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्र. 19 सन् 1958) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, एतद्द्वारा अपने अधिसूचना क्रमांक 4670/तीन-10-8/2000 भाग-4 दिनांक 28 सितम्बर 2006 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना के उक्त सारणी में अनुक्रमांक 9 तथा उससे संबंधित स्तम्भ क्रमांक (3) व (4) में वर्णित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जावे, अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक (1)	जिला एवं सत्र न्यायालय (2)	बैठने का स्थान/स्थानों (3)	न्यायालयों की संख्या (4)
9	कोरबा	1. कटघोरा	1

Bilaspur, the 19th January 2007

No. 509/III-10-8/2000 (Part-IV).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court, Chhattisgarh hereby make the following amendment in its Notification No. 4670/III-10-8/2000 (Pt-IV), dated 28th September 2006 as under, namely :-

AMENDMENT

In the said Notification in the table for Serial No. 9 and further existing entries relating thereto as shown in Column No. (3) & (4) the following entries be substituted, namely :-

TABLE

Serial No.	Name of the Civil District	Court of Additional District Judge	
		Place of sitting	Number of Courts
(1)	(2)	(3)	(4)
9	Korba	1. Katghora	1

बिलासपुर, दिनांक 19 जनवरी 2007

क्रमांक 511/तीन-10-8/2000-भाग-4.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 9 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, एतद्द्वारा अपने अधिसूचना क्रमांक 4671/तीन-10-8/2000 भाग-4 दिनांक 28 सितम्बर 2006 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना के उक्त सारणी में अनुक्रमांक 9 तथा उससे संबंधित स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जावे, अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक	सत्र न्यायालय	बैठने का स्थान/स्थानों
(1)	(2)	(3)
9	कोरबा	1. कोरबा 2. कटघोरा

Bilaspur, the 19th January 2007

No. 511/III-10-8/2000 (Part-IV).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (6) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the High Court, Chhattisgarh hereby amends its Notification No. 4671/III-10-8/2000 (Pt-IV), dated 28th September 2006 as under, namely :-

AMENDMENT

In the said Notification in the table for Serial No. 9 and further existing entries relating thereto as shown in Column No. (3) the following entries be substituted, namely :-

TABLE

Serial No.	Court of Sessions	Ordinary Place/Places of Sitting
(1)	(2)	(3)
9	Korba	1. Korba 2. Katghora

बिलासपुर, दिनांक 22 जनवरी 2007

क्रमांक 533/तीन-22-3/2000 (बालौदा बाजार-सिमगा).—छत्तीसगढ़ सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, बालौदा बाजार अपने घोषित कार्यस्थल बालौदा बाजार के अतिरिक्त सिमगा में भी उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तिथियों में सिमगा तहसील क्षेत्र से उत्पन्न सिविल एवं पुलिस थाना सिमगा एवं सुहेला क्षेत्र से उत्पन्न अपराधिक प्रकरणों की सुनवाई हेतु बैठेंगे.

Bilaspur, the 22nd January 2007

No. 533/III-22-3/2000 (Baloda Bazar-Simga).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh hereby directs that the Civil Judge Class-II & Judicial Magistrate First Class, Baloda Bazar in addition to his place of sitting at Baloda Bazar declared shall also sit at Simga for disposal of cases triable by Civil Judge Class-I & Judicial Magistrate First Class, Civil Cases arising out of Simga Tahsil and Criminal Cases arising out of Police Station Simga & Suhela on such dates as may be approved by the High Court from time to time.

बिलासपुर, दिनांक 22 जनवरी 2007

क्रमांक 535/तीन-22-3/2000 (धमतरी-नगरी).—छत्तीसगढ़ सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, धमतरी अपने घोषित कार्यस्थल धमतरी के अतिरिक्त नगरी में भी उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तिथियों में नगरी तहसील क्षेत्र से उत्पन्न सिविल एवं पुलिस थाना सिहावा एवं पुलिस चौकी नगरी क्षेत्र से उत्पन्न अपराधिक प्रकरणों की सुनवाई हेतु बैठेंगे.

Bilaspur, the 22nd January 2007

No. 535/III-22-3/2000 (Dhamtari-Nagri).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh hereby directs that the IInd Civil Judge Class-I & Judicial Magistrate First Class, Dhamtari in addition to his place of sitting at Dhamtari declared shall also sit at Nagri for disposal of cases triable by Civil Judge Class-I & Judicial Magistrate First Class, Civil Cases arising out of Nagri Tahsil and Criminal Cases arising out of Police Station Sihawa & Police Chowki Nagri on such dates as may be approved by the High Court from time to time.

बिलासपुर, दिनांक 22 जनवरी 2007

क्रमांक 537/तीन-22-3/2000 (सक्ती-डभरा).—छत्तीसगढ़ सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सक्ती अपने घोषित कार्यस्थल सक्ती के अतिरिक्त डभरा में भी उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तिथियों में डभरा एवं मालखरौदा तहसील क्षेत्र से उत्पन्न सिविल एवं पुलिस थाना डभरा, चन्दरपुर एवं मालखरौदा क्षेत्र से उत्पन्न अपराधिक प्रकरणों की सुनवाई हेतु बैठेंगे.

Bilaspur, the 22nd January 2007

No. 537/III-22-3/2000 (Sakti-Dabhra).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh hereby directs that the Civil Judge Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate, Sakti in addition to his place of sitting at Sakti declared shall also sit at Dabhra for disposal of cases triable by Civil Judge Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate, Civil Cases arising out of Dabhra & Malkharoda Tahsil and Criminal Cases arising out of Police Station Dabhra, Chandarpur & Malkharoda on such dates as may be approved by the High Court from time to time.

बिलासपुर, दिनांक 22 जनवरी 2007

क्रमांक 539/तीन-22-3/2000 (जांजगीर-पामगढ़).—छत्तीसगढ़ सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, जांजगीर अपने घोषित कार्यस्थल जांजगीर के अतिरिक्त पामगढ़ में भी उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तिथियों में पामगढ़ एवं नवागढ़ तहसील क्षेत्र से उत्पन्न सिविल एवं पुलिस थाना पामगढ़, नवागढ़ एवं शिवरीनारायण क्षेत्र से उत्पन्न अपराधिक प्रकरणों की सुनवाई हेतु बैठेंगे.

Bilaspur, the 22nd January 2007

No. 539/III-22-3/2000 (Janjgir-Pamgarh).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh hereby directs that the IInd Civil Judge Class-I & Judicial Magistrate First Class, Janjgir in addition to his place of sitting at Janjgir declared shall also sit at Pamgarh for disposal of cases triable by Civil Judge Class-I & Judicial Magistrate First Class, Civil Cases arising out of Pamgarh & Navagarh Tahsil and Criminal Cases arising out of Police Station Pamgarh, Navagarh & Shivrinarayan on such dates as may be approved by the High Court from time to time.

बिलासपुर, दिनांक 22 जनवरी 2007

क्रमांक 541/तीन-22-3/2000 (गरियाबंद-देवभोग).—छत्तीसगढ़ सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, गरियाबंद अपने घोषित कार्यस्थल गरियाबंद के अतिरिक्त देवभोग में भी उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तिथियों में देवभोग तहसील क्षेत्र से उत्पन्न सिविल एवं पुलिस थाना देवभोग क्षेत्र से उत्पन्न अपराधिक प्रकरणों की सुनवाई हेतु बैठेंगे.

Bilaspur, the 22nd January 2007

No. 541/III-22-3/2000 (Gariyaband-Deobhog).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh hereby directs that the Civil Judge Class-II & Judicial Magistrate First Class, Gariyaband in addition to his place of sitting at Gariyaband declared shall also sit at Deobhog for disposal of cases triable by Civil Judge Class-II & Judicial Magistrate First Class, Civil Cases arising out of Deobhog Tahsil and Criminal Cases arising out of Police Station Deobhog on such dates as may be approved by the High Court from time to time.

बिलासपुर, दिनांक 22 जनवरी 2007

क्रमांक 543/तीन-22-3/2000 (गरियाबंद-राजिम).—छत्तीसगढ़ सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी. गरियाबंद अपने घोषित कार्यस्थल गरियाबंद के अतिरिक्त राजिम में भी उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तिथियों में राजिम एवं गोबरा-नवापारा तहसील क्षेत्र से उत्पन्न सिविल एवं पुलिस थाना राजिम, गोबरा-नवापारा, पुलिस चौकी पंदुका अन्तर्गत थाना मगरलोड क्षेत्र से उत्पन्न अपराधिक प्रकरणों की सुनवाई हेतु बैठेंगे.

Bilaspur, the 22nd January 2007

No. 543/III-22-3/2000 (Gariyaband-Rajim).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh hereby directs that the Civil Judge Class-I & Judicial Magistrate First Class, Gariyaband in addition to his place of sitting at Gariyaband declared shall also sit at Rajim for disposal of cases triable by Civil Judge Class-I & Judicial Magistrate First Class, Civil Cases arising out of Rajim & Gobra-Navapara Tahsil and Criminal Cases arising out of Police Station Rajim, Gobra-Navapara and Police Chowki-Panduka under Police Station Magarlod on such dates as may be approved by the High Court from time to time.

By order of the High Court,
H. S. MARKAM, Registrar General.